संख्या-60/2016/आर802/26-3-2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30 मार्च 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तगत संचालित अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं की धनराशि में से रूपया-1.78 लाख धनराशि को 08-कार्यालय मद में पुनर्विनियोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-468/ज.जा.वि./2015-16, दिनांक-06.03.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हेतु लेखाशीर्षक-''2225-02-796-09-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये" मद में उपलब्ध बचतों मे से रूपया-1.78 लाख (रूपया एक लाख अठहत्तर हजार मात्र) को संलग्नक चार्ट (बी.एम.9) में अंकित विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर लेखाशीर्षक-''2225-02-796-09'' की 08-कार्यालय व्यय मद में व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में शासन की पूर्व अनुमति/स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें प्राप्त कर व्यय किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग होने के उपरान्त जो धनराशि बचेगी उसे नियमानुसार वित्तीय वर्ष के अन्त में राजकोष में जमाकर दी जायेगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का पुर्नविनियोजन एक योजना/मद से दूसरी योजना/मद में नहीं किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक लक्ष्यों की सूचना के साथ उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजनाओं/मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तगत लेखा शीर्षक ''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनेत्तर-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-09-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय'" के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी-एम-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 की अशासकीय संख्या-ई-3-453/दस-2016, दिनांक-28 मार्च 2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-60/2016/802(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ)
5- गार्डफाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

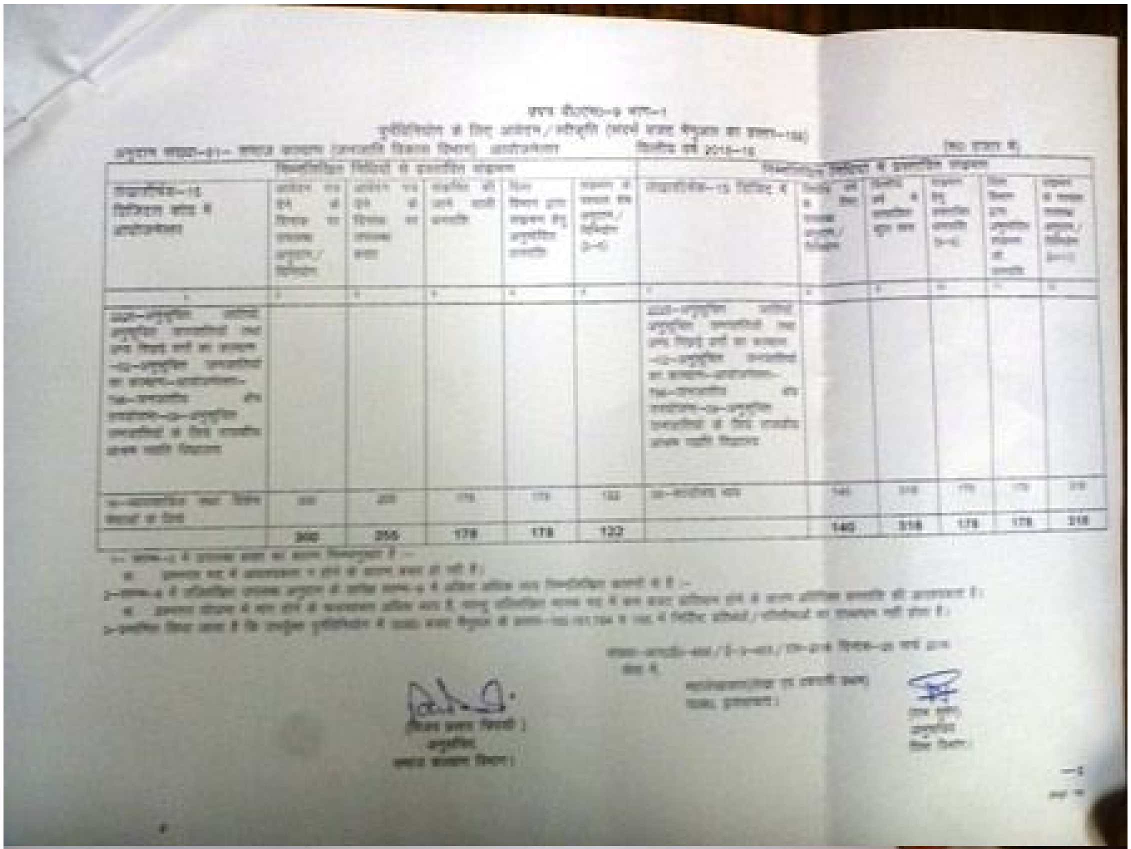

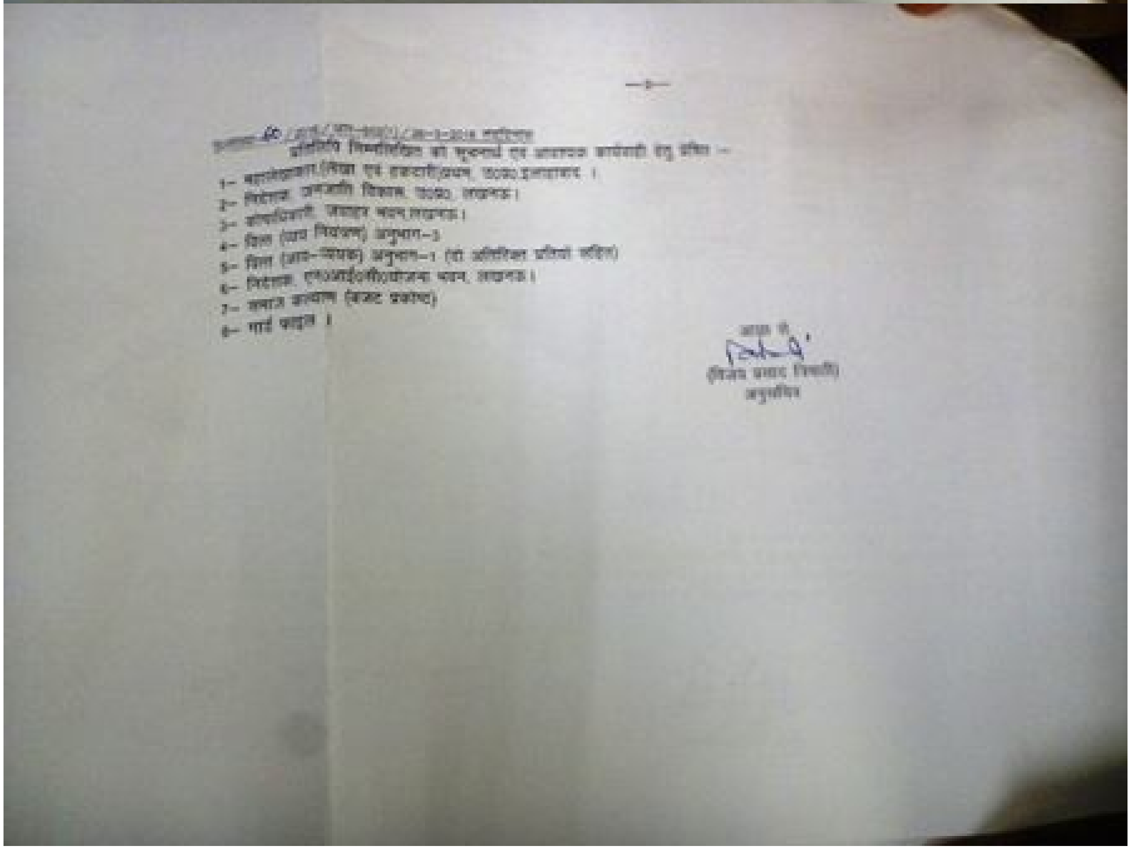

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।